# राजनीतिक सहभागिता: अवधारणात्मक परिपेक्ष्य

**डा. विजय श्री**

सहायक आचार्य

राजनीति विज्ञान विभाग

जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर

आधुनिक विश्व की राजनैतिक व्यवस्थाओं पर दृष्टिपात करने पर उनके दो प्रतिमान बनते हैं। एक वर्ग में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थायें और दूसरे वर्ग में निरंकुश या स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्थाओं को रखा जाता है। शासन व्यवस्थाओं का यह वर्गीकरण राजनीतिक सहभागिता के आधार पर ही किया गया है। लोकतंत्र में राजनीतिक दृष्टि से जनसहभागिता होती है जबकि निरंकुश तंत्रों में इसका काफी कुछ अभाव रहता है। अरस्तू द्वारा राज्यों का वर्गीकरण भी मोटे रूप में इसी आधार पर किया गया था। वह शासन शक्ति को एक, कुछ या अधिकांश लोगों के हाथ में होने पर उनको अलग–अलग नाम देता है। अरस्तू से लेकर आज तक के आधुनिकतम वर्गीकरणों में शासन तंत्रों का मूलत: राजनीति में लोगों की सहभागिता के मुख्य बिन्दु के इर्द–गिर्द ही वर्गीकृत किया जाता रहा है। एस.ई. फाईनर ने शासन व्यवस्थाओं को ''सहभागिता अपवर्जन या विलगन आयाम'' के आधार पर वर्गीकृत करके उनकी वास्तविक प्रकृति को समझाने का प्रयास किया है। इसमें फाईनर यही देखते हैं कि शासन प्रक्रिया में जनता की कितनी सहभागिता है या उसे कितना इस प्रक्रिया से वंचित रखा गया है। राजनीतिक सहभागिता वाली व्यवस्थायें लोकतांत्रिक और इससे वंचित शासन निरंकुश मानी जाती हैं।

लोकतांत्रिक व्यवस्था को एकमात्र ऐसी व्यवस्था माना जाता है जो लोगों की इच्छा पर आधारित है और जो सत्ता के संघर्ष में यथासंभव अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता की कामना करती है। सहभागिता का इस प्रकार का विस्तार ''आंशिक रूप

में सहमति, उत्तरदायित्व और राजनीतिक विरोध के सिद्धांत की सार्थकता तथा बल प्रदान करने की इच्छा से उत्प्रेरित किया गया है। सहभागिता वह प्रमुख माध्यम है जिसके द्वारा प्रजातंत्र में सहमति को मान्य अथवा अमान्य किया जाता है तथा शासकों को प्रजा के प्रति उत्तरदायी बनाया जाता है।[1]

नार्मन एच. नीई और सिडनी वर्बा ने अपने लेख पोलिटिकल पारर्टिसिपेशन में लिखा है कि राजनीतिक सहभागिता आम लोगों की वे विधि सम्मत गतिविधियां है जिनका उद्देश्य राजनीतिक पदाधिकारियों के चयन और उनके द्वारा लिये जाने वाले निर्णयों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करना होता है।[2]

राजनीतिक सहभागिता ऐसी गतिविधि है जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति सार्वजनिक नीतियों और निर्णयों के निर्माण, निरूपण और क्रियान्वयन की प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेता है। विस्तृत अर्थ में, यह किसी भी राजनीतिक प्रणाली के अंतर्गत किसी राजनीतिज्ञ, सरकारी अधिकारी या साधारण नागरिक की गतिविधि हो सकती है। लोकतंत्र में नागरिक सहभागिता के विश्लेषण के लिए अनेक मापदंड अपनाए जाते हैं। अधिकांश अध्ययनों के अन्तर्गत मतदान में भाग लेने वाले नागरिकों की प्रतिशत मात्रा को राजनीतिक सहभागिता का सूचक मान लिया जाता है। कहीं कहीं राजनीतिक दलों के प्रचार अभियान में हिस्सा लेने वाले नागरिकों की प्रतिशत मात्रा पर भी विचार किया जाता है। राजनीतिक सहभागिता के अनेक तरीके हैं जैसे सामुदायिक गतिविधि जिसके अन्तर्गत समुदाय के सदस्य किसी सामूहिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए जैसे कि स्वच्छता, सुरक्षा इत्यादि की व्यवस्था के लिए एक दूसरे के साथ मिल जुलकर कार्य करते हैं। इसके अलावा जब कोई नागरिक किसी व्यक्तिगत या सार्वजनिक मामलों को सुलझाने के लिए अपने राजनीतिक प्रतिनिधि से सम्पर्क करता है या जब कोई नागरिक जलसे–जु–लूस, विरोध प्रदर्शन, हड़ताल,धरने या बहिष्कार की गतिविधियों में हिस्सा लेता है तो इस कार्यवाही को भी राजनीतिक सहभागिता की अभिव्यक्ति माना जाता है। नागरिक सहभागिता की मुख्य कसौटी यह है कि इस गतिविधि के बल पर कोई नागरिक सार्वजनिक नीति और निर्णयों को कहां तक प्रभावित कर पाता है।[3]

शासन तंत्र में लोगों की सहभागिता या उनकी असहभागिता का तथ्य ही उनके स्वरूप का स्पष्टीकरण कर देता है। राजव्यवस्थाओं की प्रकृति, उनकी कार्य प्रणाली, कार्य क्षमता और प्रभावकारिता को समझने में सहभागिता का निर्णायक महत्व होता है।[4]

सहभागिता मुख्य रूप से उन लोकतांत्रिक समाजों का तत्व माना जाता है जिनमें सम्मति, समानता, उत्तरदायित्व, बहुसंख्यकों का शासन तथा लोकप्रिय सम्प्रभुत्ता इत्यादि विशेषताएं पायी जाती हैं। राजनीतिक सहभागिता या लोकतांत्रिक सहभागिता सरकार और नागरिकों के बीच सक्रिय परस्पर क्रिया की मांग करती है। अतः यह दो तरफा गतिविधि है। जब एक पक्ष क्रिया करता है तो दूसरा पक्ष उसका प्रत्युत्तर देता है दूसरे शब्दों में, लोकतंत्रीय सहभागिता को कार्य रूप देने के लिए नागरिक भी पहल कर सकते हैं और सरकार भी पहल कर सकती है। इनमें कुछ परम्परागत तरीके और गैर परम्परागत तरीके हो सकते हैं। परम्परागत तरीकों में सरकार या जन प्रतिनिधियों के साथ सम्पर्क, हित समूहों की गतिविधियां, राजनीतिक प्रचार अभियान, सार्वजनिक पद के लिए चुनाव लड़ना, प्रत्याह्वान, चुनावों का आयोजन, सार्वजनिक सुनवाई, सलाहकार परिषद, परिपृच्छा आदि शामिल है जबकि गैर परम्परागत तरीकों में विरोध प्रदर्शन, सविनय अवज्ञा, राजनीतिक हिंसा, राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन, विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन आदि शामिल है।[5]

राजनीति सहभागिता का आशय ''राजनीतिक व्यवस्था में विभिन्न स्तरों पर व्यक्तियों की संलिप्तता से है। राजनीतिक गतिविधियां असंलिप्तता से लेकर पद धारण तक हो सकती है। इस बात पर भी बल देना महत्वपूर्ण है कि सहभागिता का परिणाम अधिक सहभागिता की प्रेरणा भी हो सकता है जिसमें सर्वोच्च स्तर पर भी विभिन्न प्रकार के पदों को धारण करना सम्मिलित है तथा जिसमें राजनीतिक भर्ती की प्रक्रिया भी सम्मिलित है।

यद्यपि राजनीतिक सहभागिता का अध्ययन प्रजातंत्र के अध्ययन से जुड़ा हुआ है किन्तु केवल प्रजातंत्र ही राजनीतिक सहभागिता के अवसर प्रदान नहीं करता बीसवीं

शताब्दी के सभी राजनीतिक तंत्र चाहे वे सर्वसत्तावादी हो, अनुदारवादी हों या प्रति क्रियावादी हो अपने नागरिकों को राजनीति में भाग लेने का अधिकार देते रहे हैं।

## राजनीतिक सहभागिता की प्रकृति

सहभागिता प्रकृतितः बहुमुखी होती है और साथ ही बहुस्तरीय भी। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों की सहभागिता अनेक बार केवल औपचारिक और आभासी हो जाती है, अर्थात् जनता अथवा जनता का कोई भाग, अनायास ही राजनैतिक प्रक्रिया के किसी पक्ष में भागीदार हो जाते हैं, किन्तु न तो यह भागीदारी सुविचारित अथवा योजनाबद्ध होती है, न ही यह भागीदारी उससे संबद्ध व्यवस्थागत कारकों से निर्धारित और प्रभावित होती है। स्वाभाविक रूप से ऐसी 'अचेतन' और 'यांत्रिक' भागीदारी राजनैतिक सहभागिता के वास्तविक स्वरूप के समरूप नहीं मानी जा सकती।[6]

राजनीतिक सहभागिता हर प्रकार की, हर संरचनात्मक व्यवस्था की राजनीतिक गतिविधि को भी नहीं कहा जाता है। यह संकल्पना केवल व्यक्ति की राजनीतिक क्रिया के इर्द गिर्द घूमती है। इसमें 'व्यक्ति' ही प्रमुख होता है। देश के नागरिकों की ऐसी क्रियाओं को ही राजनीतिक सहभागिता कहा जाता है जो शासन तंत्र की निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करती है। इसमें मूल तथ्य व्यक्ति है। यह व्यक्ति की राजनीतिक गतिविधि है, अर्थात् राजनीतिक सहभागिता में व्यक्ति का राजनीति में आवेष्टन या उलझाव या राजनीतिक कृत्य अनिवार्यतः रहता है।

ऑमण्ड और पॉवेल ने हित एकीकरण व हित अभिव्यक्ति में राजनीतिक सहभागिता का विवेचन करते हुए राजनीतिक दलों व हित समूहों के योगदान का वर्णन किया है। इससे उनका आशय है कि राजनीतिक सहभागिता में दलों व समूहों की भूमिका को सम्मिलित किया जाता है क्योंकि व्यक्ति राजनीतिक कृत्य का माध्यम इन्हीं में पाता है। दल एवं अन्य राजनीतिक संगठन राजनीतिक सहभागिता के प्रति नागरिक जागरूकता उत्पन्न करने के ही महत्वपूर्ण माध्यम नहीं है अपितु इन्हीं से व्यक्ति का राजनीतिकरण होता है और व्यक्ति राजनीतिक कर्म करने लगता है। अतः राजनीतिक सहभागिता में केवल व्यक्ति की राजनीतिक गतिविधि नहीं राजनीतिक समूहों व दलों की राजनीतिक

क्रियायें भी सम्मिलित हो जाती हैं। राजनीतिक समाजीकरण के इन अभिकरणों से ही तो व्यक्ति राजनीति की ओर झुकता है उसमें राजनीति के प्रति लगाव पैदा होता है, उसकी राजनीतिक भर्ती और राजनीतिकरण होता है। उसकी राजनीति के प्रति यह रूचि,रूख व रवैया ही उसकी राजनीतिक गतिविधि का आधार होता है।[7]

राजनीतिक सहभागिता का तात्पर्य नागरिक की राजनीतिक गतिविधि से है और इस अर्थ में वोट देना और वोट देने के लिए व्यक्ति द्वारा प्रचार करना एक सी राजनीतिक गतिविधियां नहीं होते हुए भी राजनीतिक सहभागिता है। दोनों में व्यक्ति का राजनीतिक कृत्य है और दोनों राजनीतिक व्यवस्था की परिधि में किए गए कार्य हैं। अतः राजनीतिक सहभागिता व्यक्ति के उन सब राजनीतिक कार्यों को कहा जाता है जो राजनीतिक व्यवस्था की निर्णयकारिता के प्रभावक होते हैं।[8]

राजनीतिक सहभागिता सीमित अर्थबोधन वाली संकल्पना है। इसमें व्यक्ति का ऐसा राजनीतिक कर्म जो राजनीतिक व्यवस्था में निष्पादित होता है वही सम्मिलित रहता है। यह नागरिकों की सामूहिकता में निष्पादित गतिविधि नहीं है। यह व्यक्ति का व्यक्तिगत हैसियत से किया गया राजनीतिक कर्म, राजनीतिक क्रिया, राजनीतिक गतिविधियां राजनीतिक व्यवहार है जो राजनीतिक व्यवस्था के अंदर राजनीतिक व्यवस्था उन्मुखी और राजनीतिक निर्णय करता का प्रभावक होता है। यह राजनीतिक व्यवस्था की परिधि में किया गया कर्म है।

मिलब्राथ ने अपनी पुस्तक ''पोलिटिकल पार्टिसिपेशन'' में राजनीतिक सहभागिता को समुच्चयी क्रिया माना है। उसके अनुसार जब व्यक्ति राजनीतिक दृष्टि से एक कर्म करता है तो वह दूसरी राजनीतिक क्रिया भी करता हुआ पाया जाता है। जैसे वोट देने वाला व्यक्ति, वोट के लिए प्रचार भी करता है, धन या जन से सहयोग भी देता है तथा राजनीति में उलझाव अन्य तरीकों से राजनीतिक गतिविधि करता है तो तथा राजनीति में उलझाव के अन्य तरीकों से राजनीतिक गतिविधि करता है तो उसकी यह सब गतिविधियां राजनीतिक सहभागिता ही है। मिलब्राथ का यह विचार इस रूप में मान्य है कि इन सब में राजनीतिक क्रिया का केन्द्र व्यक्ति रहता है। यह राजनीतिक कृत्य

व्यक्ति के हैं, समूहों या दलों के नहीं है। अतः यह सब कार्य राजनीतिक सहभागिता कहे जायेंगे। यदि व्यक्ति की राजनीतिक गतिविधि है तो यह राजनीतिक सहभागिता है और अगर उसकी संस्थागत या समूह व्यवस्थाओं दलों व हित समूहों की गतिविधि से है तो यह राजनीतिक सहभागिता नहीं, राजनीतिक सहभागिता की प्रेरक व प्रोत्साहक गतिविधि है। अतः राजनीतिक सहभागिता व्यक्ति की राजनीतिक गतिविधि से ही सरोकार रखती है।[9]

## राजनीतिक सहभागिता के आयाम

राजनीतिक व्यवस्थाओं में लोगों की राजनैतिक सहभागिता के आयाम या मात्रा भी अलग–अलग होते हैं। मिलब्राथ राजनीति में सहभागी लोगों में मात्रात्मक अंतर की बात करते हैं। उनके अनुसार राजनीति में सहभागी लोग तीन प्रकार के होते हैं अतः इन लोगों की राजनीतिक सहभागिता की मात्रा के आधार पर राजनीतिक सहभागिता के तीन आयाम हो सकते हैं जो कि राजनीतिक गतिविधि की गहराई से नहीं बल्कि उसकी मात्रात्मकता से निर्धारित होते हैं इस प्रकार राजनीति में सहभागी लोगों की गतिविधियों के तीन प्रतिमान हो सकते है[10] –

### 1. अत्यधिक सक्रिय स्तर

कुछ लोग राजनीति में अत्यधिक सक्रियता से जुड़े होते हैं। ऐसी गतिविधियाँ राजनीति में व्यक्ति की पेशेवर गतिविधियाँ कही जा सकती है। इन गतिविधियों से जुड़े व्यक्ति पेशे के रूप में राजनीति को अपना लेते हैं तथा अपना अधिकांश समय व शक्ति राजनीतिक कार्यों को करने में ही व्यय करते हैं। जैसे – राजनीतिक प्रचार में अधिकांश समय लगाना, राजनीतिक दल का सक्रिय सदस्य बनना, दल की चुनावी सांठ गांठ वाली बैठकों में भाग लेना, राजनीतिक चंदा इकट्ठा करना, चुनाव में उम्मीदवार होना, दल के नेता या सार्वजनिक नेता आदि का पद संभालना आदि।

## 2. साधारण से अधिक सक्रिय

एक श्रेणी ऐसी भी होती है जो अत्यधिक सक्रिय रूप से राजनीति में सहभागी नहीं होते तो पूर्णतः उदासीन भी नहीं रहते हैं। उनकी गतिविधियाँ ऐसी राजनीति सहभागिता से संबंधित होती है जिसमें व्यक्ति की साधारण से अधिक रूचि और सक्रियता रहती है। जैसे राजनीतिक बैठकों, प्रदर्शनों व रैलियों में सम्मिलित होना, राजनीतिक नेताओं से सम्पर्क करना, किसी उम्मीदवार या दल को वित्तीय सहायता देना।

## 3. औपचारिक सक्रिय स्तर

इसमें सहभागिता में औपचारिकता का पुट रहता है। ऐसा व्यक्ति राजनीति से विरक्त तो नहीं होता पर उसका राजनीति में उलझाव भी बहुत नरम रहता है। ऐसा व्यक्ति सामान्यता राजनीति का ऐसा दर्शक रहता है जो उसमें कूदता नहीं पर अवसर आने पर सहभागी बनता है। जैसे – वोट देना, राजनीतिक वार्तालाप शुरू करना, दूसरों से इस तरफ या उस तरफ वोट देने की बात करना, अपने वाहन पर किसी राजनीतिक चिन्ह का स्टीकर चिपकाना आदि। इन गतिविधियों से स्पष्ट होता है कि हर देश में अधिकांश जनता इस प्रकार की राजनीतिक सहभागिता तक ही सीमित रहती है। उनका राजनीति से न तो अलगाव न ही उलझाव होता है। वे न तो राजनीति की तरफ दौड़ते हैं न ही राजनीति से दूर भागकर उससे कतराते हैं।

आम व्यक्ति के राजनीतिक जीवन में भाग लेने के संबंध में प्रमुख तीन दृष्टिकोण पाये जाते हैं – आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक। आर्थिक दृष्टि से व्यक्ति राजनीतिक जीवन में इस कारण भाग लेता है ताकि वह अपने आर्थिक स्वार्थों और हितों की पूर्ति तथा रक्षा कर सके। जिन व्यक्तियों के आर्थिक स्त्रोत अपेक्षाकृत संतोषजनक हैं उनमें राजनीतिक सहभागिता की मात्रा भी अधिक पायी जाती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से व्यक्ति में दूसरों की स्वीकृति प्राप्त करने की आकांक्षा, अहं, अर्जनात्मकता, सांसारिक सफलता प्राप्ति की कामना, दूसरों पर प्रभुत्व स्थापित करने की इच्छा, सामाजिक

अभियोजन की इच्छा आदि व्यक्ति को राजनीतिक जीवन में सहभागिता के लिए प्रेरित करती है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने राजनीतिक सहभागिता को दमित आकांक्षाओं का प्रतिफल, नेतृत्व की नैसर्गिक इच्छा और मूल प्रवृत्यात्मक विशेषताएँ प्रस्फुटित करने का स्वाभाविक अभिकरण माना है। सांस्कृतिक दृष्टि से व्यक्ति की राजनीतिक सहभागिता का अंतर विभिन्न संस्कृतियों में व्याप्त समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर, सत्ता और अधीनता के मूल्यों के तुलनात्मक महत्व और भूमिका ग्रहण संबंधी सांस्कृतिक विभिन्नताओं के आधार पर स्पष्ट किया जाता है।[11]

सामान्यतया सहभागिता के दो प्रकारों की बात की जाती है। पहला सक्रिय सहभागिता और दूसरा निष्क्रिय सहभागिता। आमण्ड और बर्बा ने इन दोनों के अंतर को समझाते हुए कहा है कि इन दोनों में अंतर, विशिष्ट राजनीतिक गतिविधियों के आधार पर ही किया जाता है। राजनीतिक दलों की बैठकों में सम्मिलित होना, प्रचार करना तथा उनके लिए काम करना सक्रिय सहभागिता है। निष्क्रिय सहभागिता में राजनीति के बारे में जानकारी रखना, मतदान के समय वोट देना आदि शामिल हैं।

## राजनीतिक सहभागिता के निर्धारक तत्व

विभिन्न व्यक्तियों की राजनीति सहभागिता में अंतर पाया जाता है। क्योंकि हर व्यक्ति की राजनीति में रूचि समान नहीं होती तथा वे राजनीतिक गतिविधियों, कार्यों आदि में भाग समान रूप से नहीं लेते हैं। राजनीति से लगाव और उदासीनता के लिए अनेक कारक उत्तरदायी होते हैं। इन्हीं कारकों के कारण व्यक्ति की राजनीतिक सहभागिता में अंतर दिखायी देता है। राजनीतिक सहभागिता के निर्धारक तत्व निम्न हैं –

### 1. सामाजिक परिवेश

किसी देश में राजनीतिक सहभागिता शिक्षा, व्यवसाय, आयु, जाति, लिंग, गतिशीलता, अधिवास आदि पर निर्भर करती है। यही वे तत्व हैं जो कि किसी देश में

राजनीतिक सहभागिता की मात्रा से संबद्ध होते हैं। ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में अधिक व्यापक राजनीतिक सहभागिता दिखायी देती है क्योंकि वहाँ लोगों के शैक्षिक तथा व्यवसायिक स्तर बहुत ऊँचे होते हैं। राजनीतिक सहभागिता में धर्म, जाति, लिंग आदि के आधारों पर प्रतिबंध नहीं होता और सबसे बढ़कर राजनीतिक उदासीनता सहसा भड़काने वाले दंगों तथा अनायास हिंसा के प्रयोग की मात्रा बहुत कम होती है।

## 2. मनोवैज्ञानिक परिवेश

राजनीतिक सहभागिता इसलिए भी होती है क्योंकि इसमें उन लोगों को पुरस्कृत करने की क्षमता का गुण है जो कि इसमें लीन रहते हैं। इसमें महत्वपूर्ण चर शामिल हैं जैसे सत्ता की आवश्यकता, स्पर्द्धा, उपलब्धि, लगाव, संचय, धन, प्रतिष्ठा, सामाजिक स्तर, मान्यता, भाव, जोड़–तोड़, सहानुभूति, उत्तरदायित्व अथवा ऐसी आवश्यकता जो कि मानव व्यवहार को प्रभावित करती है आदि। सामान्यतया लोग शांतिप्रिय होते हैं परन्तु वे हिंसा अथवा आंदोलन की राजनीति के अन्य रूपों का आश्रय लेते हैं जब देश के शासक उनकी सहनशीलता पर अनुचित प्रहार करते हैं या फिर जब राजनीतिक व्यवस्था का संचालन उनकी आशाओं के अनुरूप नहीं हो पाता है।

## 3. राजनीतिक परिवेश

राजनीतिक परिवेश के तत्वों में आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाओं के आकार, दूरी, जटिलता, चुनावों की आवृत्ति, भरे जाने वाले पदों की संख्या की अवधि, राष्ट्रीय, प्रांतीय, क्षैत्रीय व स्थानीय प्रशासन के स्तर, राजनीतिक दल शामिल होते हैं। राजनीतिक सहभागिता अनेक घटकों जैसे पंजीकरण की कष्टादायक प्रक्रिया, निवास की शर्त, मतदान के स्थान की दुर्गमता तथा परिस्थिति जन्य तत्व जिनमें युद्ध, विदेशी आक्रमण तथा देश विदेश में गंभीर उपद्रव जैसी बाधायें शामिल हैं द्वारा भी प्रभावित होती हैं।[12]

प्रत्येक देश की जनता अपने देश की राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेती है परन्तु सहभागिता का स्तर स्थान–स्थान पर, समय–समय पर, तथा लोगों के एक वर्ग से दूसरे

वर्ग में भिन्न दिखायी देता है इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि राजनीतिक सहभागिता स्थैतिक न होकर गतिशील परिकल्पना है। सहभागिता का अपेक्षित स्तर स्वतः प्राप्त नहीं हो सकता है, अपितु इसके लिए विभिन्न स्तरों पर गंभीर प्रयास करने अपेक्षित होते हैं।

सहभागिता की अभिव्यक्ति के संस्तरों की विविधता तथा विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं में उसके स्वरूपप में परिलक्षित होने वाली विभिन्नता के कारण सहभागिता की सटीक परिभाषा किया जाना कठिन है, किन्तु उसके सामान्य भाव को अवश्य इंगित किया जा सकता है। सिडनी वर्बा ने सहभागिता को ऐसी स्थिति के रूप में इंगित किया है जिसमें औपचारिक रूप से निर्णय–निर्माण की शक्ति से सम्पन्न न होने वाले लोग, उन लोगों के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए सक्रिय होते हैं, जिन्हें ऐसे निर्णय–निर्माण की शक्ति औपचारिक रूप से प्राप्त है। क्योंकि यह सक्रियता राजनीतिक निर्णय कर्ताओं के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए निर्दिष्ट होती है, अतः परिधि में बहुविधि गतिविधियां समाविष्ट होती हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि सहभागिता का मर्म निर्णय–निर्माताओं को वस्तुतः प्रभावित कर पाने की प्रभावशीलता में नहीं, अपितु प्रभावित करने के मन्तव्य में निहित होता है।[13]

सहभागिता एक बहुआयामी और बहु–स्तरीय स्थिति के रूप में अनेक कारकों से निर्धारित और प्रभावित होती है। यह टिप्पणी भी प्रासंगिक है कि सहभागिता शासकीय संस्थाओं के निर्वाचन में जनता की यांत्रिक भागीदारी के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती। सहभागिता का मर्म राजनीतिक व्यवस्था और प्रक्रिया के विभिन्न संदर्भों में जनता की जागरूकता, रूचि और सचेतन भागीदारी में समाविष्ट है। इस तथ्य पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि राजनीतिक सहभागिता सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश से मुक्त अथवा स्वतंत्र नहीं की जा सकती है।

# संदर्भ सूची


1. हरबर्ट मेक्यूलोस्की, डेविड मित्स (संपादित), पोलिटिकल पार्टिसिपेशनस, ब्रिल एकेडमिक पब्लिशर्स, 1984, पृ. 254
2. बर्बा एस. मिडनी, डोमोक्रेटिक पार्टीशिपेशन, दी एनल्स ऑफ अमेरिकन ऐडमी ऑफ पॉलिटिकल एण्ड सोशियल साइंस, ब्स्ग्प्प्, सितम्बर 1967, पृ. 59
3. बर्बा एस. सिडनी एण्ड नॉर्मन एच. नी, पार्टीसिपेशन इन अमेरिका : पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एण्ड सोशियल इक्वॉलिटी, न्यूयॉर्क हॉपर एण्ड रॉ पब्लिशर्स, 1972, पृ. 223
4. मीना राठौड़, भारत में राजनीतिक दल, 2003, पृ. 229
5. उपर्युक्त, पृ.सं. 7
6. उपर्युक्त, पृ.सं. 9
7. आमण्ड एण्ड बर्बा, सिविक कल्चर, स्कॉट फोर्समैन एण्ड कम्पनी, 1965, पृ. 12
8. नॉर्मन डी. पामर, इलेक्शन्स एण्ड पॉलिटिकल डवलपमेंट, द साउथ एशियन एक्पीरियेंस, डरहम एन.सी. डूक यूनिवर्सिटी प्रेस, 1975, पृ.सं. 18
9. मिलब्राल एल. डब्ल्यु., पॉलिटिकल पार्टीसिपेशन, हाउ एण्ड वाई डू पीपल गेट इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, 1965, पृ. सं. 18
10. मीना राठौड़, पूर्वोक्त, पृ. 12
11. धर्मवीर, राजनीतिक समाजशास्त्र, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, 2001, पृ. 152–153
12. मीना राठौड़, पूर्वोक्त, पृ.सं. 229
13. उपर्युक्त